

रेलवे भर्ती बोर्ड :: सिकंदराबाद

सीईएन सं.03/2024 जूनियर इंजीनियर (जेई), डिपो सामग्री अधीक्षक (डीएमएस), रासायनिक एवं धातुकर्म सहायक (सीएमए), रासायनिक पर्यवेक्षक (अनुसंधान) और धातुकर्म पर्यवेक्षक (अनुसंधान)

अंतिम परिणाम-भाग-III

दिनांक 10.10.2025 और 06.03.2026 को प्रकाशित भाग-I और 2 के परिणामों के अतिरिक्त, निम्नलिखित रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों को सीईएन 03/2024 के विभिन्न श्रेणियों के तहत दक्षिण मध्य रेलवे में जूनियर इंजीनियर (जेई), डिपो सामग्री अधीक्षक (डीएमएस), रासायनिक एवं धातुकर्म सहायक (सीएमए), रासायनिक पर्यवेक्षक (अनुसंधान) और धातुकर्म पर्यवेक्षक (अनुसंधान) के पदों पर नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से चयनित और अनुशंसित किया गया है।

श्रेणी संख्या. 09 (दमरे) –जूनियर इंजीनियर / सिविल (पी वे और ब्रिज)	
283245280749405	केवल 01 (एक) अभ्यर्थी
श्रेणी संख्या. 09 (दमरे) जूनियर इंजीनियर / सिविल (वर्क्स एवं अनुसंधान)	
283244250205072	केवल 01 (एक) अभ्यर्थी

नियुक्ति संबंधी कार्रवाई, योग्यता शर्तों और मूल दस्तावेजों का आगे का सत्यापन (अर्थात् शैक्षिक/तकनीकी योग्यता जन्म तिथि, जाति प्रमाण पत्र, चरित्र संबंधी पूर्ववृत्त आदि) की जांच प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी/दमरे के कार्यालय द्वारा सीईएन संख्या 03/2024, जूनियर इंजीनियर (जेई), डिपो सामग्री अधीक्षक (डीएमएस), रासायनिक एवं धातुकर्म सहायक (सीएमए), रासायनिक पर्यवेक्षक (अनुसंधान) और धातुकर्म पर्यवेक्षक (अनुसंधान) में निर्धारित शर्तों के अनुसार की जाएगी। अभ्यर्थियों को प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी/दमरे के कार्यालय द्वारा सूचित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण:

- यह परिणाम अंतिम है और इससे अभ्यर्थियों को रेलवे में नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। यह रेलवे भर्ती बोर्ड किसी भी अनजाने त्रुटि/ टाइपोग्राफिकल गलती की स्थिति में परिणाम को रद्द / संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसके अलावा, यदि किसी अभ्यर्थी का नाम पैनल में शामिल किया जाता है या उसे नियुक्त किया जाता है, तो रेलवे भर्ती बोर्ड परिणाम रद्द / संशोधित करने और ऐसे अभ्यर्थियों के पैनल में शामिल होने को रद्द / संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और यदि पहले ही नियुक्त होने की स्थिति में योग्यता और समान अवसर के सिद्धांत को मूलभूत आधार मानते हुए उसे सेवा से हटाया जा सकता है।
- यदि कोई अभ्यर्थी चयन के लिए अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए पाया जाता है तो उसकी नियुक्ति तत्काल रद्द कर दी जाएगी और उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, उसे रेलवे में किसी भी प्रकार की नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और यदि वह पहले से ही नियुक्त है तो उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई

भी की जा सकती है।

रेलवे भर्ती बोर्ड, सिकंदराबाद में अतिरिक्त दस्तावेज़ सत्यापन हेतु रिपोर्ट न करने के कारण रोल नंबर 283245280723697 वाले अभ्यर्थी को सीईएन 03/2024 के सभी चयनित पदों के लिए अयोग्य घोषित कर अस्वीकृत कर दिया गया है।

13.05.2026

अधोहस्ताक्षरी/-

अध्यक्ष

रेलवे भर्ती बोर्ड, सिकंदराबाद